लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
077/2022 (GCMS 2022/373)	13.10.2022	28.10.2022

अनवान

मुकेश कुमावत पिता दिनेश चन्द्र कुमावत निवासी चारभुजा मंदिर के पास किला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (मो.नं.9414729935)

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 05.09.2022 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./077/2022(सू.अ.)(28.10.2022)/815 दिनांक 13.10.2022 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 28.10.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 28.10.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक 28.10.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2022/850 दिनांक 20.10.2022 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री मुकेश कुमावत पिता दिनेश चन्द्र निवासी चारभुजा मंदिर के पास, किला, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 05.09.2022 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय में दिनांक 08.09.2022 से प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थना पत्र में सुस्पष्ट उल्लेख न होने से इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/332 दिनांक 13.09.2022 से प्रार्थी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया हैं। जिस पर प्रार्थी द्वारा सूचना का स्पष्ट विवरण आदिनांक उपलब्ध नहीं कराया गया हैं एवं इसके बजाय श्रीमान् को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई हैं।
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना के संबंध में प्रार्थी को अवगत कराये जाने के उपरान्त आदिनांक वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं करवाये जाने से सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं हैं।
4. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/850 दिनांक 20.10.2022 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी के आवेदन से वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध न होने से लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/332 दिनांक 13.09.2022 से अपीलार्थी को वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण यथा पत्रावली संख्या, आदेश दिनांक, पत्र की प्रति आदि उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत कोई भी सूचना चाहने हेतु आवेदक को वांछित सूचना का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचित किए जाने पर भी अपीलार्थी द्वारा आदिनांक तक लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। जिससे अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तैयार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही रजिस्टर्ड डाक से सूचित करने के बावजूद अपीलार्थी नियम दिनांक को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिससे अपीलार्थी की ओर से कोई भी जवाब/खण्डन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने तथा स्पष्ट विवरण प्राप्त होने के पश्चात् अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमानुसार वांछित सूचना तैयार कर अपीलार्थी को उपलब्ध कराने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>**28.10.2022**</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-SD-

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
28.10.2022